न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 47 / 2024	2024 / 102	30.10.2024	26.12.2024

01. प्रवर्तन अधिकारी, अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

--प्रार्थी

बनाम

01. श्री यश शर्मा पुत्र श्री सुरेन्द्र शर्मा निवासी दाउदपुर अलवर।

--अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 2 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः–

1. प्रवर्तन अधिकारी, अलवर –विभागीय प्रतिनिधि
2. ब्रज किशोर पटेल –वकील अप्रार्थी

--:: निर्णय ::--

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 2 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 ए प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी अलवर ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 20.09.2024 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी वहमराह श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी, श्री कृष्ण कुमार बॉयला, प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग की जांच हेतु श्री यश शर्मा पुत्र श्री सुरेन्द्र शर्मा निवासी दाउदपुर, अलवर में अग्रसेन सर्किल की दुकान निक्की एग सेन्टर, रेलवे स्टेशन के सामने, अलवर पर पहुंचे। मौके पर श्री यश शर्मा पुत्र श्री सुरेन्द्र शर्मा निवासी दाउदपुर, अलवर उपस्थित मिले। श्री यश शर्मा पुत्र श्री सुरेन्द्र शर्मा की दुकान घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से पर 2 संग्रहित पाये गये। जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया जा रहा था। फर्द अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगीनामा पृथक से तैयार किया गया। श्री यश शर्मा पुत्र श्री सुरेन्द्र शर्मा द्वारा वक्त जांच घरेलू सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री यश शर्मा के द्वारा घरेलू सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 2 घरेलू गैस सिलेण्डर को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 2 घरेलू गैस सिलेण्डर को मै० गोविन्द गैस, अलवर के प्रतिनिधि श्री राजू सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह को सुपुर्द किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 2 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने की कृपा करें।

वकील अप्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी रेलवे स्टेशन के सामने दुकानदारी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। प्रार्थी ने अपने घरेलु सिलेण्डर जो इण्डेन गैस कम्पनी से नियमानुसार कनेक्शन लेकर घरेलु गैस का उपयोग अपने घर में करता रहा है एवं गैस सिलेण्डर खाली हो जाने के पश्चात् प्रार्थी दिनांक 20.09.2024 को उसे पुनः रिफलिंग कराने हेतु अपनी काउण्टर ठेली पर घर से लेकर आया था तथा घर में प्रार्थी अकेला व्यस्क पुरुष सदस्य है जो ही उक्त सिलेण्डर को कम्पनी के डीलर से भरवाने हेतु लाकर दुकान पर रखने के कारण प्रवर्तन निरीक्षक मौके पर आ गया। प्रार्थी ने उसको भी बता दिया कि उक्त सिलेण्डर खाली है तथा भरवाने हेतु घर से

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

लेकर आया है लेकिन प्रवर्तन निरीक्षक ने प्रार्थी की बात नहीं मानी और जबरन उक्त खाली सिलैण्डर को जब्त कर लिया। उस वक्त प्रार्थी अपनी काउण्टर ठेली की सफाई का कार्य कर रहा था। सिलेण्डर का कोई व्यवसायिक कार्य में उपयोग नहीं कर रहा था तथा उक्त सिलैण्डर में गैस नीं होने के कारण भी उक्त सिलेण्डर का कोई उपयोग होना भी सम्भव नहीं था। मौके फर्द अधिग्रहण रिपोर्ट के अनुसार ही यह स्पष्ट जाहिर है कि उक्त सिलैण्डर में कोई गैस नहीं थी। खाली सिलेण्डर का किसी प्रकार से कोई घरेलु व व्यवसायिक उपयोग नहीं हो सकता। पर्चा निरीक्षण में गलत तथ्य दर्ज करके उक्त सिलेण्डर को जबरन जब्त किया है जो विधि विरूद्ध किया है। प्रार्थी का उक्त सिलेण्डर वैध कनैक्शन के द्वारा प्राप्त किया हुआ है। प्रार्थी के परिवार के पास घरेलु उपयोग हेतु मात्र यही सिलेण्डर प्राप्त किया हुआ है इसके अभाव में प्रार्थी को अपने व बच्चो के भोजन आदि बनाने में काफी गंभीर असुविधा उत्पन्न हो जावेगी। कनेक्शन की फोटो प्रति साथ में संलग्न है। अतः दस्तावेजों पर गौर फरमाया जाकर उसका जब्तशुदा सिलेण्डर को प्रार्थी को पुनः वापिस लौटाये जाने के आदेश सादिर फरमाये जावे।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में वर्णित तथ्यो से जाहिर है, कि मौके पर श्री यश शर्मा की दुकान पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप संग्रहित पाये गये। जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया जा रहा था। श्री यश शर्मा द्वारा वक्त जांच घरेलू सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री यश शर्मा के द्वारा घरेलू सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जाना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 व आरपीपीएल 1990 के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा उक्त 2 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा उक्त 2 घरेलू गैस सिलेण्डर सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज०)